राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः NRHM/RCH-II/JSY/08/536 दिनांकः 24/11/08

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
समस्त अधिक्षक,जनाना अस्पताल एवं
महिला चिकित्सालय, सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज।

विषयः—जननी सुरक्षा योजना के कियान्वयन हेतु दिशा निर्देश।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के तहत मातृत्व स्वास्थ्य हेतु जननी सुरक्षा योजना (जे. एस. वाई.) गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए चलाई जा रही हैं । यह योजना राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना का संशोधित रूप हैं । इस योजना के तहत संस्थागत प्रसव होने पर प्रसूताओं को प्रसव के दौरान एवं प्रसवोत्तर देखभाल हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। यह योजना शत् प्रतिशत केन्द्र सरकार से प्रायोजित हैं।

योजना के उदेश्यः—

1. मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर मे कमी लाना ।
2. संस्थागत प्रसवों की संख्या में वृद्धि करना ।

इस योजना के अन्तर्गत आशा सहयोगिनियों का चयन किया गया है, जो संस्थान एवं प्रसूता के बीच मध्यस्था का कार्य करेगी ।

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आशा सहयोगिनी की भूमिका : —

- अपने क्षेत्र की शत् प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की पहचान कर योजना का लाभ दिलवाने हेतु प्रसव पूर्व पंजीयन एवं जे.एस.वाई (जच्चा—बच्चा) कार्ड बनवाने मे सहयोग करेगी।
- गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व 3 बार जॉच, टीटेनेस के टीके लगवाने एवं आयरन फोलिकएसिड गोलियां उपलब्ध करवाने मे सहयोग करेगी।

- गर्भवती महिलाओं को सरकारी संस्था अथवा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय में प्रसव कराने हेतु प्रेरित करेगी।
- संस्थागत प्रसव कराने हेतु सरकारी संस्था अथवा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय को चिन्हित करने मे सहयोग करेगी तथा आवश्यकता पडने पर रेफरल चिकित्सालय के बारे मे आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवायेगी।
- प्रसूता को प्रसव हेतु चिन्हित संस्था पर ले जाने में सहयेाग करेगी तथा संस्था पर प्रसवोपरान्त प्रसूता को डिस्र्चाज किये जाने तक संस्था पर रहकर आवश्यक सहयोग करेगी।
- प्रसव उपरान्त नवजात शिशु को प्रसव के तुरन्त बाद माता का दूध पिलाने हेतु प्रेरित करेगी व 0–6 माह तक शिशु को सिर्फ मॉ का दूध ही पिलाने की सलाह देगी तथा परिवार कल्याण के साधनो के उपयोग हेतु प्रेरित करेगी।
- नवजात शिशु को टीकाकरण करवाने में सहयोग करेगी।
- बच्चे के जन्म एवं माता व बच्चे की मृत्यु की सूचना सम्बन्धित प्रसाविका व चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध करवायेगी।
- प्रसवोपरान्त 7 दिवस के अन्दर माता के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करेगी व आवश्यक्तानुसार सहयोग करेगी।

गर्भवती महिलाओं को सरकारी संस्थान अथवा पंजीकृत निजी संस्थान में प्रसवोपरान्त सहायता पैकेज :–

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	माता हेतु सहायता राशि	आशा सहयोगिनी हेतु पैकेज (रेफरल परिवहन राशि + प्रोत्साहन राशि)	कुल राशि
1.	ग्रामीण क्षेत्र में	1400/–	600/– (400/– + 200/–)	2000/–
2.	शहरी क्षेत्र में	1000/–	200/–	1200/–

<u>नोट</u> :–

❖ मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों पर प्रसव किये जाने पर प्रसूता को जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत निर्धारित सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी परन्तु मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय हेतु निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा। मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों पर प्रसव किये जाने पर आशा सहयोगिनी को प्रोत्साहन राशि देय नहीं है ।

❖ सरकारी संस्थान पर सामान्य वार्ड में भर्ती गर्भवती महिलाओं को ही जननी सुरक्षा योजना का लाभ देय है।

❖ घरेलु प्रसव का वित्तिय लाभ 500/– रूपये ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में केवल बी.पी. एल. कार्डधारी प्रसूताओं को ही देय है।

- बीपीएल परिवार की प्रसूताओं का प्रसव पूर्व (एएनसी) रजिस्ट्रेशन प्रसव के 12 सप्ताह तक किया जाकर अलग से सूची बनायी जाये व प्रसव के 8–12 सप्ताह

स्वास्थ्य प्रबन्धन आवश्यक

पूर्व 500/– रूपये की राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाये व संस्थागत प्रसव होने पर बीपीएल परिवार की महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली कुल राशि में से 500/– रूपये की राशि कम कर शेष राशि का भुगतान किया जायेगा। जिसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित क्षेत्र की आशा सहयोगिनी, प्रसाविका एवं सेक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी की होगी। जिसका समय–समय पर खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा निरिक्षण किया जाकर प्रसव पूर्व 500/– रूपये की राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

- ग्रामीण क्षेत्र में सभी वर्गो की प्रसूताओं को रेफरल परिवहन सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। आशा सहयोगिनी प्रसवपूर्व/प्रसवकाल/प्रसवोत्तर सेवा देने के साथ रेफरल परिवहन सुविधा का अग्रिम रूप से प्रबन्ध करेगी। जिसके लिए 600/– रूपये का प्रावधान योजना में किया गया है। यह राशि दो किश्तो में देय होगी। प्रथम किश्त 500/– रूपये (400/– परिवहन एवं 100/– प्रोत्साहन राशि) प्रसवोपरान्त संस्था प्रभारी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। दूसरी किश्त 100/– रूपये प्रसवोत्तर सेवायें एवं नवजात शिशु को डीपीटी के तीन टीके 14 सप्ताह तक लगवाने पर सम्बन्धित क्षेत्र की प्रसाविका अथवा चिकित्सा अधिकारी प्रभारी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
- आशा सहयोगिनियों को शहरी क्षेत्र में प्रथम किश्त 100/– रूपये प्रोत्साहन राशि प्रसवोपरान्त संस्था पर ही देय होगी तथा दूसरी किश्त का भुगतान 100/– रू. प्रसवोत्तर सेवायें एवं नवजात शिशु को 14 सप्ताह तक डी.पी.टी. के तीन टीके लगाये जाने पर सम्बन्धित प्रसाविका अथवा चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त करेगी ।
- किसी कारणवश ग्रामीण क्षेत्र की प्रसूता के साथ आशा सहयोगिनी नहीं आने की स्थिति में यदि प्रसूता सीधे ही प्रसव हेतु सरकारी संस्था पर चली जाती है तो भी प्रसूता को 300/– रूपये की राशि परिवहन सुविधा के रूप में अलग से संस्था प्रभारी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
- जननी सुरक्षा योजना का लाभ प्रसूताओं एवं आशा सहयोगिनियों को चैक द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत तत्काल भुगतान की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा सभी स्वास्थ्य केन्द्रो पर कर दी गई है। अतः प्रसूताओं को प्रसवोपरान्त संस्था पर ही डिस्चार्ज पूर्व चैक द्वारा भुगतान किया जाये, आवश्यकता पडने पर उप स्वास्थ्य केन्द्र पर अनटाईड फण्ड एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला अस्पतालों में मेडिकल रिलीफ सोसायटी में उपलब्ध राशि का उपयोग किया जा सकेगा जिसका पुनर्भरण जिला स्वास्थ्य समित द्वारा किया जायेगा।
- सरकारी संस्थाओं एवं मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों पर प्रसवोंपरान्त प्रसूताओं को 24 घंटे ठहराव सुनिश्चित किया जाये ताकि प्रसवोपरान्त होने वाली जटिलताओं का उपचार समय पर किया जा सके एवं डिस्चार्ज से पूर्व चैक द्वारा भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

स्वास्थ्य प्रबन्धन आवश्यक

स्वास्थ्य प्रबन्धन आवश्यक

- मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों पर होने वाले प्रसवों का भुगतान सम्बन्धित क्षेत्र की प्रसाविका के माध्यम से नजदीक के प्रा0 स्वा0 केन्द्र/ब्लॉक प्रा0 सवा0 केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारियों द्वारा किया जायेगा। भुगतान की राशि चैक द्वारा केवल प्रसूताओं को ही प्रदान की जायेगी एवं भुगतान की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित क्षेत्र के ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की होगी।
- जननी सुरक्षा योजना के भुगतान का इन्द्राज जननी सुरक्षा योजना रजिस्टर, भर्ती टिकिट में किया जाकर केश बुक में किया जाएगा।
- मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय प्रसूताओं से सामान्य प्रसव होने पर 500/- रूपये की राशि एवं प्रसव के दौरान जटिलता होने अथवा सिजेरियन ऑपरेशन द्वारा प्रसव कराने पर अधिकतम 1500/- रूपये तक की राशि प्राप्त कर सकेंगे।
- प्राइवेट/निजी संस्थाओं को जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राज्य सरकार से दिये गये दिशा निर्देशानुसार मान्यता प्रदान करेंगे व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में होने वाले प्रसवों का समय पर भुगतान की व्यवस्था करेगे तथा उनकी मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित करेगे।
- उपस्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसव होने की स्थिति में जिन उपस्वास्थ्य केन्द्रों पर अलग से लेबर रूम, प्रसव कराने हेतु लेबर टेबल, प्रसूता के विश्राम हेतु रोगी शैया, प्रसव कराने हेतु आवश्यक उपकरण एवं दवाईयॉ, पानी व बिजली की उचित व्यवस्था एवं प्रसाविका का प्रसव कराने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त होने की स्थिति में ही संस्थागत प्रसव मानकर जननी सुरक्षा योजना का लाभ दिया जायेगा। ऐसे उपस्वास्थ्य केन्द्रों को, जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा मान्यता प्रदान की जायेगी, जिनकी सूची जिला स्तर पर तैयार कर निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी। बाकी उप केन्द्रों पर की गयी डिलेवरी का भुगतान देय नही होगा तथा उन डिलीवरीयों को skill डिलेवरी माना जायेगा।
- **प्रशासनिक व्यय :-** जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर पर कुल व्यय का 2%, जिला स्तर पर 1%, एवं संस्था स्तर पर 3%, प्रशासनिक व्यय करने का प्रावधान है। इस राशि का उपयोग योजना की मोनिटरिंग, प्रचार-प्रसार एवं कार्यालय से सम्बन्धित अन्य प्रशासनिक कार्यो में किया जा सकेगा। जैसे कि जननी सुरक्षा राशि वितरण करने हेतु। अतः 3% राशि हर जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को हस्तान्तरित की जावे परन्तु जिन संस्थाओं में डिलेवरी नही होती है उन्हे देय नहीं होगी। इस राशि का खर्च प्रसूता महिलाओं की सुविधाओं एवं व्यवस्था पर खर्च करने के लिए संस्था प्रभारी अधिकृत होंगे।
- कई जगह से यह शिकायत भी प्राप्त हो रही है कि जननी सुरक्षा योजना कार्ड नहीं बनाने की स्थिति में महिलाओं को पूरा भुगतान नहीं किया जाता हैं तथा प्रसूता का डिलेवरी के समय कार्ड बनाया जाता है जो गलत हैं। यदि कार्ड नहीं बना है तथा डिलीवरी हेतु महिला अस्पताल में आती है तो उसे पूरा भुगतान किया जावे क्योकि संस्था में प्रसव होना सबसे बडा प्रमाण है।

स्वास्थ्य प्रबन्धन आवश्यक

- यदि किसी भी प्रसूता में डिलीवरी के दौरान कोई जटिलता होती है उस स्थिति में उसे रेफर करने की आवश्यक्ता है तो उसे संस्था की एम्बूलेंस द्वारा निःशुल्क उच्चतर के अस्पताल में भेजा जायेगा।
- यदि 108 (ईएमआरआई) एम्बूलेंस की सहायता से प्रसूता को सुविधा उपलब्ध कराई गयी हैं तो उस स्थिति में परिवहन व्यय प्रसूता को देय 400 रूपये की राशि देय नहीं होगी तथा उसका अलग हिसाब रखा जायेगा जो बाद में ईएमआरआई को भेजा जायेगा।
- **सिजेरियन छेदन/जटिल प्रसव हेतु विशेषज्ञ सेवाये :–** जिन सरकारी संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध नहीं है, वो संस्थान निजी चिकित्सालयो/विशेषज्ञों से विशेषज्ञ सेवायें प्राप्त करने हेतु 2000 /– ओपरेशन करने वाले सर्जन/ स्त्री रोग विशेषज्ञ, 1500/– एनस्थेटिस्ट व 500/– शिशु रोग विशेषज्ञ को भुगतान कर सकते है। यह लाभ जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से मान्यता प्राप्त करने के पश्चात् ही निजी संस्थाओं/विशेषज्ञो को देय होगा।
- सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों से सरकारी विशेषज्ञों द्वारा सेवाऐ अन्य सरकारी संस्थान पर प्राप्त किये जाने पर 500/– की राशि उनके मानदेय एवं परिवहन पर व्यय किये जाने का प्रावधान है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे विशेषज्ञों की सूची तैयार कर आवश्यक आदेश जारी करेगे।

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः **NRHM/RCH-II/JSY/08/**537 – 380 दिनांकः 24/11/08

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु : –

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव प.क. एवं मिशन निदेशक(एनआरएचएम), जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय को भेजकर लेख हैं कि आपके अधीन जनाना/महिला चिकित्सालयों में इसकी प्रति भेजकर पालना सुनिश्चित करावें।
6. समस्त जिला कलेक्टर, ...
7. निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
8. निदेशक, आरसीएच/जनस्वास्थ्य/एड्स/आईईसी, मुख्यालय, जयपुर।
9. वित्तिय सलाहकार, एनआरएचएम, मुख्यालय, जयपुर।

10. अतिरिक्त निदेशक, एनआरएचएम/राजपत्रित/आरसीएच/आर.एच. /अराजपत्रित/ चिकित्सा प्रशासन, मुख्यालय, जयपुर
11. संयुक्त निदेशक, आरसीएच, मुख्यालय,
12. संयुक्त निदेशक,
जोन–जयपुर/अजमेर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर
13. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि समस्त जिलों में एवं सम्बन्धितों को ई–मेल द्वारा सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
14. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान, जयपुर।